संख्या–वे0आ0–2– 1981 /दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कृषि विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में कृषि विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा कृषि विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) प्राविधिक सहायक ग्रुप–सी के पदों को वर्तमान स्वरूप (पदनाम/अर्हता एवं भर्ती की प्रकिया) में यथावत् बनाये रखते हुए उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 2400 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(2) प्राविधिक सहायक ग्रुप–बी की अर्हता/भर्ती की प्रकिया एवं वेतनमान यथावत् बनाये रखा जाय तथा प्राविधिक सहायक ग्रुप–ए के पद की अर्हता/भर्ती की प्रकिया यथावत् बनाये रखते हुए उक्त पद पर पूर्व में उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 6500–10500 अनुमन्य होने की तिथि से उक्त वेतनमान का सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4600/– अनुमन्य कराया जाय।

(3) विभाग में विद्यमान उप निदेशक, कृषि वेतनमान रू0 10000–15200 एवं जिला कृषि अधिकारी वेतनमान रू0 8000–13500 के जनपद स्तरीय पदों में से जिला कृषि अधिकारी को प्रशासनिक हेड बनाये जाने की स्थिति के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग द्वारा अध्ययन कर उचित व्यवस्था की जाये।

(4) विकास शाखा के श्रेणी–2 के पदों पर सीधी भर्ती के लिये वर्तमान में निर्धारित कृषि स्नातक उपाधि की अर्हता के स्थान पर कृषि विषय में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता निर्धारित की जाय।

(5) विभाग में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(6) विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखें जायें।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2– 198/ (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।